



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी,
कोलकाता-700 001

दिनांक : 30.10.2024

कार्यालय ज्ञापन सं. 102/2024

पूर्व कार्यालय ज्ञापन सं. 15/2024 दिनांक 02.02.2024 को रद्द करते हुए, अधेहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 155 के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से संबंधित प्रत्येक अवसर पर 50,000/- रुपये से अधिक और 5,00,000/- रुपये तक की लागत वाली वस्तुओं की खरीद के लिए बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता से संबद्ध निम्नलिखित अधिकारियों सहित स्थानीय क्रय समिति का तत्काल प्रभाव से पुनर्गठन किया है :-

1.	श्री पी.सी. बोरो, संयुक्त अनुज्ञापन नियंत्रक
2.	श्री ज्योति अर्णव गोस्वामी स.ले.अ.
3.	श्री सत्येन्द्र कुमार चौधरी, स.प्रा.अ.
4.	श्री मिश्री चौधरी, वरि.सचि.स.

आ देव

(आशीष देव)

सहायक सचिव (प्रभारी)

वितरण :-

1.	उपरोक्त सूचीबद्ध सभी अधिकारी	
2.	बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष (उपाध्यक्ष को छोड़कर)	
3.	वि.स. एवं मु.ले.अ.	
4.	उपाध्यक्ष के सचिव	
5.	वि.स. एवं मु.ले.अ. एवं सचिव के निजी सहायक	
6.	आई.टी कक्ष	बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
7.	टीबीईए	
8.	सचिवालय शाखा	अतिरिक्त प्रतियां सहित

संदर्भ. फाइल सं. 1(8)/2005/भ.अ./भाग-I